NALSA (Legal Services to the Mentally III and Mentally Disabled Persons) Scheme, 2015

NALSA (Legal Services to the Mentally III and Mentally Disabled Persons) Scheme, 2015

BACKGROUND

Persons with disabilities, especially those suffering from mental illness and other barriers like mental retardation are usually not those who catch the attention of the authorities that be. They are sidelined and are viewed only from the prism of the paternalistic "social welfare" which looks upon them merely as persons who are in need of special protection by the State and the society. India is a signatory to the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) 2008 and since our country has ratified the Convention, it is obligatory for our legal system to ensure that human rights and fundamental freedoms of persons with disability (including mentally ill persons and persons with mental disabilities) are enjoyed on equal basis with others and to ensure that they get equal recognition before the law and equal protection of the law. The Convention further requires us to ensure effective access to justice for persons with disabilities on an equal basis with others.

Under Section 12 of the Legal Services Authorities Act, 1987, persons who are disabled as defined in clause (i) of Section 2 of the Persons With Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act,1995 and those in a psychiatric hospital or in a psychiatric nursing home within the meaning of clause (q) of Section 2 of the Mental Health Act,1987 are entitled to legal services. Hence NALSA had drawn up a scheme to provide effective legal services to the mentally ill and mentally disabled, in 2010, in terms of its mandate under S.4 (b) of the Legal Services Authorities Act, 1987.

Though the Scheme was first launched in 2010, from the reports received from all the States on its implementation, it appears that there is a need to review the scheme to strengthen the services rendered by the State Legal Services Authorities/Legal Services Institutions to these marginalised people to enable them to access justice. There is imperative need for a proactive outreach to these people. So far, the SLSAs/DLSAs

seem to be concerned only with matters reaching them. Even then, there remains much to be done in court related activities.

It is in this background, that this new Scheme for Legal Services to the Mentally III and Mentally Disabled persons has been drawn up as "NALSA (Legal Services to the Mentally III and Mentally Disabled Persons) Scheme, 2015".

OBJECTIVES

This Scheme includes fresh guidelines to the Legal Services Institutions (State Legal Services Authorities, District Legal Services Authorities, Taluk Legal Services Committees, High Court Legal Services Committees, Supreme Court Legal Services Committee) to be followed while they render legal services to the mentally ill and persons with mental disabilities. The objective is to ensure that the mentally ill or mentally disabled are not stigmatized and they are dealt with as individuals who are to be helped to enforce all rights they are entitled to and as assured to them by law.

The terms PLVs, Legal Services Clinics, Front Office, Panel Lawyers and Retainer Lawyers will mean the same as defined under the National Legal Services Authority (Free and Competent Legal Services) Regulations, 2010 and National Legal Services Authority (Legal Services Clinics) Regulations, 2011 and the NALSA Scheme for Para Legal Volunteers (Revised) and Module for the Orientation – Induction – Refresher Courses for PLV Training.

PART- I:

PRINCIPLES

While dealing with Mentally III or Mentally Disabled Persons, the Legal Services Institutions must keep in mind the following factors:-

(1) **Mental illness is curable** – The Legal Services Institutions shall keep in mind the fact that mental illness is curable on proper medication and care.

- (2) Mentally disabled persons are not mentally ill persons

 –Mentally disabled persons are suffering from mental disabilities
 due to developmental disorders. Mental Retardation (MR) is of
 permanent nature and is not curable. So also Autism and Cerebral
 Palsy. They are, therefore, treated as persons with disabilities
 under Section 2 of the Persons with Disabilities (Equal
 Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995
 (PWD Act). The statutory provisions for the welfare of mentally
 disabled persons are (i) PWD Act, 1995 and; (ii) National Trust for
 the Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy Mental
 Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999.
- (3) Mentally ill and Mentally disabled persons are entitled to all human rights and fundamental freedoms While dealing with mentally ill and mentally disabled persons for rendering legal services it shall be the prime concern of the legal services institutions to promote, protect and ensure the full and equal enjoyment of human rights and fundamental freedoms of these persons.
- (4) Respect for the inherent dignity of mentally ill & mentally disabled persons The legal services institutions shall promote respect for the inherent dignity, individual autonomy including independence of mentally ill & mentally disabled persons.
- (5) Non-discrimination The legal services institutions shall not discriminate mentally ill & mentally disabled persons merely because of his/her state of mental health. Rather, they are to be dealt with greater sensitivity and care.
- (6) Reasonable Accommodation The legal services institutions shall make provisions including reasonable accommodation to ensure that persons with mental illness or mental disabilities have equal access to any scheme, programme, facility or service offered.

- (7) The right of mentally ill persons to get treatment Right to treatment and to get proper health care, emanating from Article 21 of the Constitution of India is equally applicable to all mentally ill persons. Mentally ill persons are deprived of treatment either due to lack of information or due to illegal confinement because of superstition or lack of means or stigma. Therefore the legal services institutions shall ensure that such persons are able to access treatment facilities available in the psychiatric hospitals or psychiatric nursing homes by invoking the provisions in chapter IV of the Mental Health Act, 1987.
- (8) Informed consent for treatment –Legal services institutions shall ensure that when a person is subjected to treatment for mental illness, his / her informed consent is obtained. If any person is incapable of giving such consent, the informed consent of his / her relatives or friend and in their absence, the satisfaction of the court under Part II Chapter V of Mental Health Act, 1987 shall be ensured.
- (9) Prevention of exploitation and abuse of mentally disabled persons— Mentally disabled persons, particularly female mentally disabled, are one of the vulnerable groups most likely to be exploited. Therefore, the legal services institutions shall come to the assistance of mentally disabled persons in preventing their exploitation including sexual abuse and also for taking legal action against the abusers and exploiters.
- (10) Mentally disabled persons and, by and large, mentally ill persons, cannot fruitfully utilize information, because of their mentally challenged situation. Hence, they cannot be imparted with optimum legal literacy to empower them to access justice. Therefore, legal service institutions should assess and audit their eligibilities and needs, in terms of the laws, on collective as well as individual basis, and such requirements shall be addressed by extending legal services.

PART-II

LEGAL SERVICES TO THE MENTALLY III AND MENTALLY DISABLED PERSONS IN PSYCHIATRIC HOMES, HOSPITALS AND OTHER SIMILAR FACILITIES AND IN JAILS

The Mentally III and Mentally disabled persons used to be kept in jails under the head of "non-criminal lunatics". Through directions of the Hon'ble Supreme Court of India in Sheela Barse Vs. Union of India and others (Criminal Petition No.237/1989) the Supreme Court deprecated this practice and declared that the admission of the non-criminal mentally ill persons in the jails was illegal and unconstitutional. The Supreme Court further directed that henceforth only Judicial Magistrates and no Executive Magistrate shall send a person who is mentally ill to places of safe custody for treatment. The Judicial Magistrates are also obligated to first seek the advice of a professional or psychiatrist before doing so. The Judicial Magistrates are also required to, as per the directions of the Supreme Court of India to send quarterly reports to the High Court setting out the number of cases sought to be screened and sent to places of safe custody and the action taken by the Judicial Magistrates thereon.

The Supreme Court of India transferred the records of the case to each High Court requesting the High Courts to register the records so received as a Public Interest Litigation treating the High Court Legal Services Committee as the Petitioner, to assist the High Court in the matter of monitoring compliance of the orders and directions of the Supreme Court of India and the orders of the High Court which may be passed from time to time.

In order to comply with the directions of the Supreme Court of India, the following actions need to be taken:

At Jails:

 The SLSAs will have to first ensure that the Public Interest Litigation is registered in the High Court and an Hon'ble Judge is designated to deal with the mater, as directed by the Supreme Court of India.

- The SLSAs will carry out inspection of all jails with the assistance of the State Mental Health Authority (SMHA) or any other team constituted by the High Court or under the directions of the High Court to ascertain whether there are any mentally ill and mentally disabled persons in the jails and if there are, to immediately seek appropriate directions from the High Court with regard to their shifting out and their treatment.
- The SLSAs will in coordination with the SMHA constitute a team of psychiatrists/psychologists/counsellors to visit the jails and assess the state of mental health of the inmates in jail. Depending on the need assessment by the team, SLSAs will initiate corrective measures necessary to facilitate the treatment of the jail inmate by psychologists or psychiatrists.
- In compliance of the orders of the Supreme Court of India, the Judicial Magistrates should also send quarterly reports to the High Court setting out the number of cases screened and sent to places of safe custody and the action taken by the Judicial Magistrates thereon. Intimation regarding every such reporting shall be given by the Judicial Magistrate to the SLSA, which, in turn, shall ensure that the said quarterly report gains prompt attention of the designate Hon'ble Judge and shall seek such directions and orders as may be found necessary; either general in nature, or as regards any particular individual or issue. SLSA shall, in the event of any such direction or order being issued, notify the DLSA/TLSC concerned to aid and monitor its compliance, and shall also bring to the notice of the designate Hon'ble Judge any non-compliance or deficiency in compliance of any such direction or order.

At psychiatric hospitals, homes and facilities:

 The SLSAs should request the High Court for the constitution under Section 37 of the Act a Board of Visitors for all psychiatric hospitals, homes and similar facilities, whether government run or privately run in the State, in which the Member Secretary/Full Time Secretary, SLSAs/DLSAs should also be a Member. The Board of Visitors should regularly visit these to assess the living conditions of the inmates in these facilities, homes or hospitals.

- The SLSAs/ Board of Visitors should review the persons in these hospitals, homes and facilities to ascertain whether there are any cured persons staying there whose families appear reluctant to take them back or are themselves not able to contact their families. Whenever the SLSAs/DLSAs or Board of Visitors find such inmates the SLSAs/DLSAs must take all steps to facilitate restoration, including providing legal representation in court to seek orders for restoration of the cured person with the family.
- Legal services institutions shall during their visits to the psychiatric hospitals or homes or facilities ascertain through interaction with inmates, doctors and staff as to whether any of the persons admitted there are victims of forced admission or not. In such cases, legal services shall be given to such persons for their release from the psychiatric hospitals or homes or facilities.
- SLSAs/DLSAs should setup Legal Services Clinics at the psychiatric hospitals, homes and facilities in order to provide legal assistance wherever required to the Mentally III/ mentally disabled persons and their families to address legal issues concerning the mentally ill and mentally disabled persons.
- Such a legal clinic should be manned by Para Legal Volunteers and Panel Lawyers who are sensitive to such issues and persons.
- It would be quite appropriate to train the doctors, nurses and other para medical staff/administrative staff at the mental health facilities as Para Legal Volunteers so that the best legal services can be provided keeping in mind the welfare of the mentally ill / mentally disabled persons.
- The Clinic should also help in ensuring that the homes meant for the mentally ill and mentally disabled persons have all facilities,

including for learning appropriate skills for independent and/or assisted living and earning. The legal services institutions may approach the Government, and if necessary the High Court for appropriate directions, to ensure the availability of such facilities.

- The Legal Services Institutions should also connect the mentally disabled persons with the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities so that benefits provided under the "National Trust For Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999" are assured to these persons and their families.
- Legal Services Institutions should involve through the PLVs the
 para medical staff/administrative staff and doctors at the mental
 health facilities to identify the relatives and homes of those patients
 in relation to whom such facts are not available on record and take
 appropriate steps through the different legal services institutions to
 reach to the relatives of the patients to facilitate re-union of the
 patients with the near and dear ones.
- Patients, who are housed in mental health centres, homes and facilities, away from their domicile and home, must be considered for providing legal assistance to ensure their transit to mental health centres, homes and facilities nearer to their native place. This can be done with the involvement of SLSAs and DLSAs.

LEGAL SERVICES TO THE MENTALLY ILL AND MENTALLY DISABLED PERSONS WHO ARE WANDERING, HOMELESS AND DESTITUTES

Under the Mental Health Act, 1987, Section 23, the officer in charge of a police station can take or cause to be taken into protection a wandering mentally ill person or a dangerous mentally ill person within the limits of his station and produce such person before the Magistrate under Section 24 for passing reception orders authorizing the detention of the said person as an inpatient in a psychiatric hospital or psychiatric nursing home for purposes of treatment.

Similarly, under Section 25, a police officer or a private person who has reason to believe that a mentally ill person within the limits of his station is not under proper care and control or is ill-treated or neglected by relatives or other the persons having charge of such mentally ill person, can report the matter before the Magistrate. The Magistrate can pass an order of reception or even fine the person who is responsible for neglecting the mentally ill.

In the case of the homeless or destitute mentally disabled person, ordinarily the matter must be reported to the Local Level Committee through a registered organization as prescribed under the National Trust For the Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 and Rules and Regulations thereunder. It is the Local Level Committee which would pass appropriate directions for the care of the neglected or destitute mentally disabled person.

Action to be taken by legal services institutions

- The legal services institutions must draw up a panel of sensitive and sensitized legal services lawyers to represent the best interests of the mentally ill person at the time of the production of the person under Section 24 or Section 25 of the Mental Health Act, 1987 and assist the Magistrate while passing an order that would be in the welfare of the mentally ill person.
- The legal services institutions must assist the police through its PLVs assigned to the police stations to refer the mentally disabled persons, who are neglected, homeless or destitute to the Local Level Committee set up under Section 13 of the National Trust for the Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 so that orders such as the appointment of guardian, whether individual or institutional, for the care and rehabilitation of the mentally disabled person is ensured.

 Legal services institutions must devise sensitization programmes with the junction of mental health officials including doctors, police officials and judicial magistrates dealing with inquisition proceedings to evolve locally conducive mode to ensure that wandering mentally ill persons are identified and dealt with securing their human rights by obtaining appropriate judicial orders as may be found necessary in each case.

LEGAL SERVICES TO MENTALLY ILL AND MENTALLY DISABLED PERSONS DURING COURT PROCEEDINGS

The two statutes governing the rights of the mentally ill persons and the mentally disabled persons are The Mental Health Act 1987 and the National Trust for the Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999. Both entail a hearing before the passing of appropriate orders by the Magistrate or the Local Level Committee as the case may be. It is important that the legal services institutions participate in them through the PLVs or the Panel lawyers.

- It shall be the duty of the legal services institutions to depute its retainer/panel lawyer to the court where an application for reception orders has been moved or is under consideration under Section 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27 or 28 of the Mental Health Act, 1987.
- The legal services institutions may request the Magistrates who deal with such applications to give notice to the legal services institutions in all cases, for protecting the interest of the mentally ill persons in relation to whom the application for reception or discharge order is being made.
- The retainer/panel lawyer shall gather the details of the circumstances and shall liaise with the relatives of the alleged mentally ill persons, doctors in the psychiatric hospitals or psychiatric nursing homes or any other competent person to ensure that the condition of the person against whom the

- application for reception/discharge order has been made warrants such an order from the court.
- The legal services institutions having local jurisdiction shall keep a list of the mentally ill persons against whom reception orders have been passed by the courts and shall monitor the progress of treatment of the mentally ill persons in the psychiatric hospitals or psychiatric nursing homes where the mentally ill persons is detained as per the reception order.
- The legal services institutions shall bring to the notice of the Magistrate concerned about any cured mentally person remaining in the psychiatric hospitals or psychiatric nursing homes where such mentally ill person has been sent as per the reception order.
- The legal services institutions should through the PLVs/panel/retainer lawyers help the cured voluntary patients for moving requests for discharge under Section 18 or by an involuntary patient under Section 19.
- The legal services institutions should through the clinics or as part
 of the Board of Visitors always keep track of admissions under
 Section 19 (1) of the Act so that detention beyond the period of the
 first ninety days is only on the orders of the court.
- The legal services institutions shall also keep track of cases under Section 20 of the Act, so that no cured patient is allowed to remain in the psychiatric hospital, home or facility by default. They must move applications for discharge as soon as the patient is cured.
- The legal services institutions shall also keep track of cases under Section 23 read with Section 25 of the Act, in relation to wandering or destitute mentally ill persons, so that the requirements under Section 28 of the Act, of a ten day review by the Magistrate of the need to keep a person under observation is strictly complied with and no person is detained longer than needed for the issuance of the certificate of mental illness under Section 24 (2) (a) of the Act.

- The legal services institutions through their legal services clinics and PLVs and panel/retainer lawyers should keep track of discharge of patients and wherever necessary should aid and assist the patient to move the application for discharge to the medical officer in charge or to the court which had passed the reception orders.
- The legal services clinics and PLVs and panel/retainer lawyers should also render assistance to inpatients to obtain leave of absence as provided under Section 45 and Section 46 of the Act. They should also assist the filing of appeals as provided for under Section 49 of the Act.
- The legal services institutions shall also participate in inquisition proceedings under Section 50 of the Act to protect the interests of the mentally ill person. A request must be made to the District Judge to issue notice to the legal services institution whenever an application under Section 50 comes before it.
- Where an alleged mentally ill person is possessed of property and if no persons mentioned in Clauses (a) to (d) of Sub-section (1) of Section 50 of Mental Health Act is coming forward with an application for holding judicial inquisition under Chapter VI of the Mental Health Act, the legal services institutions shall take appropriate steps for initiating judicial inquisition regarding the mental condition of the alleged mentally ill persons, custody of his/her person and management of his/her property. purpose the Legal Services Institutions may contact any of the aforesaid persons referred to in Clauses (a) to (d) of Sub-section (1) of Section 50 of Mental Health Act, 1987 in writing and may also take up the matter with the Advocate General of the State or with the Collector of the appropriate District in terms of Clause (d) of Sub-section (1) of section 50 of that Act. Legal Services institutions must extend legal aid to the mentally ill persons involved in such matters by providing effective assistance as may be appropriate and requested for by the Collector concerned to aid and assist in preparing and processing such proceedings.

- The legal services institutions should follow up every case where a guardian of the person is appointed under Section 53 and /or the manager of the property has been appointed under Section 54 or an order of maintenance has been passed under Section71 and Section 79 of the Act and take every step to protect the interests of the mentally ill person.
- The legal services institutions should render all help to pursue appeals as provided under Section 76 of the Act.
- The legal services institutions should through the legal services clinics and PLVs and through visits including as Member of the Board of Visitors that there are no transgression of the human rights of the inmates and whenever such transgressions are noticed, shall bring it to the notice of the High Court.
- As the National Trust for the Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act 1999, is a comprehensive Act to provide for the care of the mentally disabled, including assistance in care to parents of the mentally disabled and also for arranging the care and finances of the mentally disabled after the death of the parents through appointment of guardians, it is important that legal services institutions inform the public of the Act and further help them to benefit from it. The PLVs and the legal services clinics should come to the assistance of the mentally disabled and their families in the matter of appointment of guardians.
- Legal services institutions shall come to the help of mentally ill and the mentally disabled in protecting their rights of inheritance, owning properties and enjoying financial rights. The persons with mental illness or mental disability have rights with others to inherit property, both movable as well as immovable, and also have a right to control their financial affairs and have access to bank loans, mortgages and other forms of financial credit, which can be

accessed by them personally or through a support person who has no interest in conflict to the person with mental illness or mental disability. Legal services institutions should render all legal help in realizing this.

- Legal services institutions shall assist the mentally disabled for obtaining all benefits under The Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995.
- The legal services institutions shall find out the different beneficial schemes for the mentally disabled and their families. The legal services institutions shall assist the mentally disabled and their families to avail the benefits under such schemes.

AWARENESS AND SENSITISATION PROGRAMME

- The legal services institutions shall organize awareness programmes especially in rural areas, to educate people that mental illness is curable and there is no stigma attached to mental illness or mental disabilities.
- The legal services institutions should explain the need for equal treatment of mentally ill with other persons in the society. In such special legal awareness camps the presence of psychiatrists, lawyers and social workers can help the participants to clear their doubts and misconception about mental illness and mental disabilities.
- The legal services lawyer in such camps may educate the public and families on the property and other legal rights and the other provisions of law relating to the mentally ill and mentally disabled persons.
- The State Legal Services Authority / District Legal Services Authority may organize training programmes in association with

the Judicial Academy to sensitize the judicial officers about the socio-legal problems faced by the mentally ill and mentally disabled persons, their parents, relatives and family members.

• Similar programmes may be organized with the help of the bar associations to sensitize the panel lawyers and the other members of the legal profession.

The legal services institutions shall co-ordinate with NGOs and other volunteer social organizations for dealing with the issues relating to mentally ill and mentally disabled persons.

नालसा (मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाऐं) योजना, 2015

नालसा (मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाऐं) योजना, 2015

पृष्ठभूमि

अशक्ता से ग्रस्त व्यक्यों को विशेषत: मानसिक बीमारी और मनोबधिता जैसे अन्य अवरोधों से जूझने वालों को प्राधिकरण द्वारा वह देखरेख नहीं मिल पाती जो कि उन्हें मिलनी चाहिए। उन्हें अलग रखा जाता हैं और उनको केवल 'समाज कल्याण' के पितृ सुलभ नजिरये से देखा जाता है जो उन्हें केवल उन लोगों के रूप में दर्शाता है जिन्हें राज्य एवं समाज द्वारा विशेष सुरक्षा की आवश्यकता है। अशक्त व्यक्यों के अधिकार (सी.आर.पी.डी) 2008 के सयुंक्त राष्ट्र करार पर भारत एक हस्ताक्षरी है और तबसे हमारा देश इस करार के अनुसमर्थन में है, यह हमारे विधिक तंत्र के लिए अनिवार्य है कि वह सुनिश्चित करे कि अशक्ताग्रस्त व्यक्यों (मानसिक रूप से अस्वस्थ एवं मानसिक रूप से अशक्त व्यक्तियों सिहत) अपने मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता को अन्य लोगों के साथ समानता के आधार पर उपभोग कर पा रहे हैं और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि उन्हें विधि के समक्ष समान मान्यता और विधि से समान रक्षा मिले। इसके आगे यह करार हमसे यह भी चाहता है कि अशक्त व्यक्तियों को अन्य लोगों के साथ बराबरी के आधार पर न्याय तक प्रभावशाली अभिगमन मिलें।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के तहत वह व्यक्ति जिन्हें अशक्त व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों की रक्षा और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 के तहत परिभाषित किया गया है और जिन्हें मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 की धारा 2 के खंड (Q) के अर्थ में मनोचिकित्सक अस्पताल अथवा मनोचिकित्सक निर्मंग होम में रखा गया है, विधिक सेवाओं के हकदार हैं। इसलिए नालसा (NALSA) ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधि नियम, 1987 की धारा 4(b) के अंर्तगत सशक्त अपने अधिकार से मानसिक रोगी और मानसिक अशक्तताग्रस्त व्यक्तियों को प्रभावशाली विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए वर्ष 2010 में एक योजना बनाई थी।

हालाँकि, योजना सबसे पहले 2010 में शुरू हुई थी, परन्तु सभी राज्यों द्वारा प्राप्त कार्यान्वयन रिपोर्टों से यह लगता है कि इन उपेक्षित व्यक्यों को न्याय तक पहुँचने के लिए सक्षम करने वाले राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण /विधिक सेवा संस्थाओं द्वारा प्रदान करने वाली सेवाओं को मजबूत करने के लिए उनका पुनरावलोकन करने की आवश्यकता है। यहाँ इन लोगों तक पहुँचने के लिए अग्र सिक्रय रूप से अभिगमन की अत्यंत आवश्यकता है। अब तक विधिक सेवा संस्थान सिर्फ उन तक पहुँचे मामलों में ही सहायता प्रदान कर रही है फिर भी, न्यायालय सम्बंधी गतिविधियों में अब भी बहुत कुछ करना बाकी है।

इसी पृष्टभूमि में मानसिक रूप से अस्वस्थ एवं मानसिक रूप से अशक्त व्यक्तियों के लिए विधिक सेवा की नई योजना 'नालसा (मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाएें) योजना, 2015' बनाई गई है।

उद्देश्य

इस योजना में वें नये मार्गदर्शन सिम्मिलित है जिनका पालन विधिक सेवा संस्थानों (राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुक विधिक सेवा सिमितियों, उच्च न्यायालय विधिक सेवा सिमितियों, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा सिमितियों, द्वारा मानिसक रूप से अस्वस्थ तथा मानिसक रूप से अशक्त व्यक्तियों को विधिक सेवाएं देते समय किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मानिसक रूप से अस्वस्थ अथवा मानिसक अशक्ता से ग्रस्त व्यक्ति कलंकित लोग नहीं है और उनके साथ ऐसा ही व्यव्हार किया जाएगा जैसा किसी अन्य व्यक्ति से, जिसे उसके हक के सभी अधिकारों को प्रवृत करने में सहायता मिलती है और जैसाकि उन्हें विधि द्वारा आश्वासित किया गया है।

अर्द्ध-विधिक स्वयंसेवी, विधिक सेवा क्लीनिक, फंट ऑफिस, पैनल अधिवक्ता और प्रतिधारक अधिवक्ता जैसे शब्दों का अर्थ वही रहेगा जैसा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नि:शुल्क और सक्षम विधि) विनिमयन, 2010 और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (विधिक सहायता क्लिनिक) विनिमयन, 2011 नालसा की पैरा लीगल वालंटियर्स (संशोधित) योजना- पैरा लीगल वालंटियर्स प्रशिक्षण मॉडयूल के तहत परिभाषित हैं।

भाग - 1

सिद्धान्त

मानसिक रूप से अस्वस्थ अथवा मानसिक अशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के साथ व्यवहार करते हुए, विधिक सेवा संस्थानों को निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखना चाहिए :-

1. मानसिक बीमारी साध्य है:-

विधिक सेवा संस्थानों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मानसिक बीमारी उचित दवाई एवं देखरेख के साथ साध्य है।

2. मानसिक अशक्तताग्रस्त व्यक्ति, मानसिक बीमार व्यक्ति नहीं हैं:-

मानसिक अशक्तताग्रस्त व्यक्ति, मानसिक अशक्तता के विकासात्मक विकारों के कारण पीड़ित है। मानसिक विकास में कमी (एम.आर) की प्रकृति स्थाई होती है और यह साध्य नहीं है। ठीक इसी तरह स्वलीनता (आटिज्म) और दिमागी पक्षाघात। यह सब, इसीलिए अशक्तताग्रस्त व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों की रक्षा एवं पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 (अशक्तताग्रस्त

व्यक्ति अधिनियम) धारा 2 के तहत अशक्तताग्रस्त व्यक्ति माने जाते हैं। मानसिक अशक्तताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु संवैधानिक प्रावधान हैं (i) अशक्तताग्रस्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 और (ii) स्वपरायणता (आठिज्म),प्रमस्तिक घात, मानसिक मन्दता और बहु-विकलांगताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999

3. मानसिक रूप से बीमार और मानसिक अशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति सभी मानवीय अधिकार और मौलिक स्वतंत्रता के हकदार हैं:-

मानसिक रूप से बीमार और मानसिक अशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों को विधिक सेवाएं देते समय, विधिक सेवा संस्थान का यह मुख्य सरोकार होना चाहिए कि इन व्यक्तियों के मानवीय अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता को प्रोत्साहित एवं रक्षित किया जाये और यह सुनिश्चित किया जाये कि वह अपने मानवीय अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता का पूर्ण और समान आनंद ले सके।

4. मानसिकरूप से बीमार और मानसिक अशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों की जन्मसिद्ध गरिमा के लिए सम्मान :-

विधिक सेवा संस्थान को मानसिक बीमार और मानसिक अशक्तताग्रस्त व्यक्तियों की जन्मसिद्ध गरिमा, वैयक्तिक स्वायत्तता सहित स्वतंत्रता के सम्मान को बढवा देना चाहिए।

5.गैर पक्षपात-

विधिक सेवा संस्थानों को मानसिक रूप से बीमार तथा मानसिक अशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के साथ मात्र उनकी मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति के कारण भेद-भाव नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके साथ अत्यंत संवेदनशीलता और देखभाल के साथ व्यवहार करना चाहिए।

6. पर्याप्त आवास :-

विधिक सेवा संस्थानों को ऐसे प्रावधानों को बनाना चाहिए जो मानसिक अशक्तताग्रस्त व्यक्तियों के लिए पर्याप्त आवास और उनको प्रदत्त किसी भी योजना, कार्यक्रम, सुविध । अथवा सेवा तक समान अभिगमन को सुनिश्चित करें।

7. मानसिक बीमार व्यक्तियों का उपचार प्राप्त करने का अधिकार :-

भारतीय संविधान के अनुछेद 21 से उत्पन्न उपचार एवं उचित स्वाथ्य की देखरेख का अधिकार सभी मानसिक बीमार व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होता है। मानसिक बीमार व्यक्तियों तो जानकारी के अभाव के कारण या अंधिवश्वास अथवा साधनों के अभाव अथवा कलंक इत्यादि से उपजे अवैध परिरोधा के कारण उपचार प्राप्त करने में वंचित रह जाते हैं। इसलिए विधिक सेवा संस्थानों को सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे

व्यक्ति, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 के अध्याय-**IV** में लागू प्रावधाानों के माध्यम से मनोचिकित्सक अस्पतालों अथवा मनोचिकित्सक नर्सिंग होम में उपचार की उपलब्ध सुविधाओं तक सुगमतापूर्वक अभिगमन कर सकें।

8. उपचार हेतु संसूचित सहमति :-

विधिक सेवा संस्थानों को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति मानिसक बीमारी के उपचार केअध्यधीन हो, तो उसकी संसूचित सहमित प्राप्त कर लें। यदि कोई व्यक्ति ऐसी सहमित देने में असक्षम है तो उसके रिश्तेदारों या मित्रों की संसूचित सहमित होनी चाहिए और इनकी अनुपस्थिति में, मानिसक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 के अध्याय V के भाग-II के तहत न्यायालय की संतुष्टि को सुनिश्चित कर लेना चाहिए।

9. मानसिक अशक्तताग्रस्त व्यक्तियों के शोषण और उत्पीड़न की रोकथाम :-

मानसिक अशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों में खास तौर पर मानसिक अशक्तता से ग्रस्त मिहलायें ऐसे अति संवेदनशील समूह हैं जिनका शोषण संभवत: अधिक होता है। इसलिए विधिक सेवा संस्थानों को मानसिक अशक्तताग्रस्त व्यक्तियों को उनके यौन उत्पीड़न सिहत शोषण की रोकथाम करने में सहायता करनी चाहिए और दुर्व्यव्हारियों एवं शोषकों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही भी करनी चाहिए।

मानसिक अशक्तताग्रस्त व्यक्ति और मानसिक बीमार व्यक्ति सामान्यत: अपनी मानसिक दशा की चुनौती के कारण सूचना का लाभकारी ढंग से उपयोग नहीं कर पाते। इसिलए उन्हें सर्वोत्कृष्ट विधिक साक्षरता प्रदान नहीं की जा सकती जो उन्हें न्याय प्राप्त करने में सशक्त बनाये। इसिलए, विधिक सेवा संस्थानों को विधि के सम्बन्ध में, उनकी क्षमताओं और आवश्यकताओं को, सामूहिकता के साथ-साथ वैयक्तिक आधार पर मूल्यांकन तथा परीक्षण करना चाहिए और ऐसी जरुरतों को विधिक सेवा देकर पूरा करना चाहिए।

भाग-II

मनोचिकित्सक भवनों, अस्पतालों एवं अन्य ऐसे ही समान जगहों और कारागारों में मानसिक बीमार तथा मानसिक अशक्तताग्रस्त व्यक्तियों को विधिक सेवा :

मानसिक बीमार और मानसिक अशक्तताग्रस्त व्यक्यों को 'गैर-अपराधी पागलों' के शीर्ष के तहत कारागारों में रखा जाता था। माननीय भारतीय उच्चतम न्यायालय ने (फौजदारी याचिका सं.237/1989) शीर्षक 'शीला बरसे बनाम भारत सरकार एवं अन्य' में अपने निर्देशों द्वारा इस प्रथा को अवमानित किया और आदेश सुनाया कि 'गैर-अपराधी' मानसिक बीमार व्यक्तियों को कारागारों में कैद करना अवैध और असंवैधानिक है। माननीय भारतीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी घोषणा की कि अबसे केवल न्यायिक दण्डाधिकारी ही किसी व्यक्ति को, जो मानसिक बीमार है, उपचार

हेतु सुरक्षित अभिरक्षा में भेज सकेंगे, कोई कार्यपालक दण्डाधिकारी नहीं। न्यायिक दण्डाधिकारी को ऐसा करने के लिए सबसे पहले किसी व्यासायिक अथवा मनोचिकित्सक से सलाह मांगनी पड़ेगी। न्यायिक दण्डाधिकारी को यह भी चाहिए कि वह माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, माननीय उच्च न्यायालय को उन मामलों के संबंध मे त्रैमासिक रिपोर्ट भेजें जिनमे जाँच पश्चात् ऐसे व्यक्तियों को सुरक्षित अभिरक्षा की जगहों पर भेजने तथा उसके बाद आगे पहल करने संबंधी कार्यवाही की गयी हो।

भारत के उच्चतम न्यायालय ने प्रकरणों के अभिलेखों को प्रत्येक उच्च न्यायालय मे इस अनुरोधके साथ स्थानांतरित कर दिया है कि उच्च न्यायालय अभिलेखों को जनहित याचिका के रूप में दर्ज करेंगे, जिसमे उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति को याचिकाकर्ता के रूप में मानेंगे, जिससे उच्च न्यायालय को भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्देशों और आदेशों एवं उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों के मामलों में अनुवीक्षण एवं अनुपालन में सहायता होगी।

भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन करने हेतु, निम्नलिखित कदम उठाने की आवश्यकता हैं:-

कारागारों में :-

- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को सबसे पहले सुनिश्चित करना चाहिए कि जनिहत याचिका उच्च न्यायालय में दर्ज हो और एक माननीय न्यायाधीश को मामले के निपटान के लिए मनोनीत करना चाहिए, जैसे कि भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित है।
- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण सभी कारागारों में राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण (एस.एम.एच.ए) अथवा उच्च न्यायालय द्वारा गठित कोई भी अन्य दल की सहायता के साथ निरीक्षण करेंगे अथवा उच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत यह भी सुनिश्चित करेंगे कि क्या कारागारों में कोई मानसिक बीमार और मानसिक अशक्तताग्रस्त व्यक्ति है और यदि हैं, तो उनके स्थानांतरण और उनके उपचार से सम्बंधित उच्च न्यायालय से तत्काल उचित निर्देश लेंगे।
- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य मानिसक स्वास्थ्य प्राधिकरण (एस.एम.एच.ए) के साथ समन्वय करके मनोवैज्ञानिकों/मनोचिकित्सकों/परामर्शदाताओं का एक दल गठित कर कारागारों में दौरा करेंगे और कैदियों की मानिसक स्वास्थ्य की हालत की जाँच करेंगे। दल द्वारा आवश्यक जाँच के आधार पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, कैदियों के मनोवैज्ञानिकों अथवा मनोचिकित्सकों द्वारा उपचार को सुगम करने हेतु आवश्यक संशोधनात्मक कदम उठाएंगे।
- न्यायिक दण्डाधिकारी को यह भी चाहिए कि वह माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों
 के अनुसार, माननीय उच्च न्यायालय को उन मामलों के संबंध मे त्रैमासिक रिपोर्ट भेजें

जिनमे जाँच पश्चात् ऐसे व्यक्तियों को सुरक्षित अभिरक्षा की जगहों पर भेजने तथा उसके बाद आगे पहल करने संबंधी कार्यवाही की गयी हो। ऐसी प्रत्येक रिपोर्ट न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को दी जायेगी, तब उस पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कथित त्रैमासिक रिपोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय के मनोनीत न्यायाधीश के ध्यान मे लायी जाये और इस तरह उनसे सामान्य प्रकृति के मामलों मे अथवा किसी विशिष्ट व्यक्ति के मामले में अथवा विवादों के सम्बंध मे यथावश्यक निर्देश तथा आदेश प्राप्त किया जाये। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ऐसा कोई भी आदेश अथवा निर्देश जारी होने की स्थिति में, सम्बंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण को आवश्यक सहायता प्रदाय हेतु व उसके परिपालन का अनुवीक्षण सुनिश्चित करने हेतु अधिसूचित करेगा, और ऐसे किसी भी आदेश या निर्देश के परिपालन में होने वाली अवमानना को मनोनीत न्यायाधीश के ध्यान में लाएगा।

मनोचिकित्सक अस्पताल, भवन और सुविधाएँ :

- ▼ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अिधिनयम की धारा 37 के तहत, उच्च न्यायालय को, राज्य सरकार अथवा निजी संस्था द्वारा चालित, सभी मनोचिकित्सक अस्पतालों, भवनों एवं ऐसे ही सुविधा केन्द्रों में, आगुन्तक बोर्ड का गठन करने के लिए अनुरोध करेंगा जिसमे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सिचव/पूर्णकालिक सिचव भी सदस्य होंगे। आगुन्तक बोर्ड को इन जगहों का नियमित दौरा कर के इन सुविधा केन्द्रों, भवनों या अस्पतालों में रहने वाले व्यक्तियों के जीवन परिस्थितियों का मूल्यांकन करना होगा।
- ► राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/आगन्तुक बोर्ड को इन अस्पतालों, भवनों एवं सुविधा केन्द्रों के रोगियों का पुनर्विलोकन करना चाहिए कि क्या यहाँ ऐसे उपचारित व्यक्ति हैं, जिन्हें उनके परिवार वाले वापस घर ले जाने के अनिच्छुक हैं अथवा वह खुद अपने परिवार से संपर्क नहीं कर पा रहे है। जब भी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा आगुन्तक बोर्ड ऐसे रोगियों का पता लगाएं, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण /जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को इनके प्रत्यावर्तन हेतु सभी कदम उठाने चाहिए, जिसमे उपचारित व्यक्ति का अपने परिवार के साथ प्रत्यावर्तन हेतु न्यायालय से आदेश लेने में विधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करना भी शामिल होगा।
- विधिक सेवा संस्थान, ऐसे मनोचिकित्सक अस्पतालों, भवनों या सुविधा केन्द्रों का दौरा करते समय रोगियों, चिकित्सकों और स्टाफ के साथ बातचीत करते हुए सुनिश्चित करेंगे कि क्या यहाँ पर कोई ऐसे व्यक्ति भी है जो बल पूर्ण दाखिले के पीड़ित है। ऐसे मामलों

- में, ऐसे व्यक्तियों को मनोचिकित्सक अस्पतालों या भवनों या सुविधा केन्द्रों से उनकी रिहाई हेतु विधिक सेवाएँ प्रदान की जायेगी।
- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को मनोचिकित्सक अस्पतालों, भवनों और सुविधा केन्द्रों में, मानिसक बीमार/मानिसक अशक्तताग्रस्त व्यक्तियों और उनके परिवार वालों को मानिसक बीमार और मानिसक अशक्तताग्रस्त व्यक्तियों से सम्बंधित विधिक विषयों पर विधिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से विधिक सेवा क्लीनिक को स्थापित करना चाहिए।
- ▶ ऐसे विधिक सेवा क्लीनिक को अर्द्धविधिक स्वयंसेवकों एवं पैनल अधिवक्ताओं द्वारा संचालित किया जाना चाहिए जो ऐसे विषयों तथा व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील हो।
- मानसिक स्वास्थय सुविधा केन्द्रों में चिकित्सको, नर्सो एवं अन्य अर्द्ध चिकित्सा कर्मिर्यो/प्रशासिनक स्टाफ को अर्द्ध-विधिक स्वयंसेवी के रूप में प्रशिक्षित करना उचित रहेगा तािक मानसिक बीमार, मानसिक अशक्तताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए बेहतर विधिक सेवाएँ प्रदान की जा सकें।
- ▶ क्लिनिकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि मानिसक बीमार और मानिसक अशक्तताग्रस्त व्यक्तियों के लिए निर्मित भवनों में उनको अपने जीवन-यापन तथा धनार्जन में सहायता या खुद को आत्मिनिर्भर बनाने हेतु उचित कौशलो को सिखने के उचित सुविधाएँ मिलें। विधिक सेवासंस्थान, यथावश्यक, सरकार अथवा उच्च न्यायालय के पास भी, ऐसी सुविधाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित कराने हेतु उचित निर्देशों के लिए जा सकते हैं।
- ▶ विधिक सेवा संस्थानों को चाहिये कि वह मानिसक अशक्तताग्रस्त व्यक्तियों को स्वलीनता, दिमागी पक्षाघात, मानिसक गित में कमी और बहु अशक्तताग्रस्त व्यक्ति के संबंध मे गिठत राष्ट्रीय कल्याण ट्रस्ट के साथ जोड़ें तािक 'स्वलीनता, दिमागी पक्षाघात, मानिसक गित में कमी और बहु अशक्तताग्रस्त व्यक्ति के लिए, राष्ट्रीय कल्याण ट्रस्ट अधिनियम, 1999' के तहत मिलने वाली सुविधाएँ, इन व्यक्तियों तथा इनके परिवार जनों को मिल सकें।
- ▶ विधिक सेवा संस्थान को मानिसक स्वास्थ्य सुविधा केंद्र के अर्द्ध-विधिक स्वयंसेवकों और अर्द्ध-चिकित्साकर्मी/प्रशासिनक स्टफ और चिकित्सकों के माध्यम से रोगियों के रिश्तेदारों तथा घर की पहचान करने में संलिप्त होना चाहिए, जिसके संबंध में तत्प्रकार के रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है और विभिन्न विधिक सेवा संस्थानों द्वारा ऐसे रोगियों के रिश्तेदारों से सम्पर्क स्थापित कर ऐसे रोगियों को उनके अपने लोगों तक पहुँचाने की सुविधा दिलाने हेतु उचित कदम उठाये जाने चाहिए।
- वह रोगी जो मानसिक स्वास्थ्य केन्द्रों, भवनों और सुविधा केन्द्रों में रहते हैं, जो अपने मूल निवास एवं घर से दूर है, को उनके मूल निवास के निकट मानसिक स्वास्थ्य केन्द्रों, भवनों

और सुविधा केन्द्रों में स्थानांतरण हेतु विधिक सहायता प्रदान करानी चाहिए। यह कार्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की संलिप्तता के साथ होना चाहिए।

बेसहारा, बेघर और नि:सहाय मानसिक बीमार तथा मानसिक अशक्तताग्रस्त व्यक्तियों को विधिक सहायता

मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987, की धारा 23 के तहत किसी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी अपने थाने की सीमा के भीतर किसी भी आवारा मानसिक बीमार व्यक्ति अथवा किसी भी खतरनाक मानसिक बीमार व्यक्ति को पकड़ अथवा पकड़वा सकते हैं और तब ऐसे व्यक्ति धारा 24 के तहत दंडाधिकारी के समक्ष कथित व्यक्ति की कैद को प्राधिकृत करने हेतु ग्रहण आदेश प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किये जायेंगे तािक उसे किसी मनोचिकित्सक अस्पताल अथवा मनोचिकित्सक निर्मंग होम में उपचार हेतु दािखला मिल सके।

इसी तरह, धारा 25 के तहत, यदि किसी पुलिस अधिकारी अथवा किसी निजी व्यक्ति को यह इस बात का पूर्ण विश्वास है कि उसके थाने या निवास की सीमाओं के भीतर किसी मानिसक बीमार व्यक्ति को उचित देखरेख तथा सुरक्षा नहीं मिल पा रही है अथवा उसे उसके रिश्तेदारों या अन्य व्यक्तियों के द्वारा जिनके पास ऐसे मानिसक बीमार व्यक्ति का प्रभार हो, द्वारा बुरा व्यवहार या उपेक्षा की जा रही है, तो वह इस मामले को दण्डाधिकारी के समक्ष रिपोर्ट कर सकते है। दण्डाधिकारी ग्रहण आदेश अथवा उस व्यक्ति को दडं देने का आदेश दे सकते है जो मानिसक बीमार व्यक्ति की उपेक्षा के लिए जिम्मेदार है।

बेघर अथवा नि:सहाय मानसिक अशक्तताग्रस्त व्यक्ति के मामले में सामान्यता, किसी पंजीकृत संगठन जैसा कि स्वपरायणता (आटिज्म),प्रमस्तिक घात, मानसिक मन्दता और बहु-विकलांगताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 एवं नियम तथा विनियमनों के तहत पंजीकृत संगठन द्वारा विधित स्थानीय स्तर को द्वारा रिपोर्ट किया जा सकता है। यह स्थानीय स्तर सिमिति ही है, जो उपेक्षित अथवा निसहाय मानसिक अशक्तताग्रस्त व्यक्तियों की देखरेख हेतु उचित निर्देशों को पारित करेगी।

विधिक सेवा संस्थानों द्वारा लिए जाने वाले कदम

► विधिक सेवा संस्थानों को मानिसक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 की धारा 24 या 25 के तहत मानिसक बीमार व्यक्ति के सर्वश्रेष्ठ हितों का प्रतिनिधित्व करते हुए उसे पेश करने में सक्षम संवेदक तथा संवेदनशील विधिक सेवा अधिवक्ताओं का पैनल तैयार करना चाहिए जो दण्डाधिकारी को मानिसक बीमार व्यक्ति के कल्याण हेतु आदेश देते समय सहायता प्रदान कर सके।

- ▶ विधिक सेवा संस्थानों को पुलिस थानों में नियुक्त अपने अर्द्ध-विधिक स्वयंसेवकों द्वारा पुलिस को, मानसिक बीमार व्यक्तियों जो उपेक्षित, आवारा या निस्सहाय है, राष्ट्रीय कल्याण ट्रस्ट (स्वलीनता, दिमागी पक्षाघात, मानसिक गित में कमी और बहु विकलांग) अधिनियम, 1999 की धारा 13 के तहत स्थापित स्थानीय स्तर सिमिति को सुपुर्द करने मे सहायता करनी चाहिए, तािक मानसिक बीमार व्यक्ति के देखरेख, स्वास्थ्य-लाभ, व्यक्तिगत या संस्थागत संरक्षक की नियुक्ति जैसे इंतजामो को सुनिश्चित किया जा सकें।
- ▶ विधिक सेवा संस्थानों को मानिसक स्वास्थ्य अधिकारियों सिहत चिकित्सकों, पुलिस अधिकारियों तथा न्यायिक दंडाधिकारियों के साथ जो कि स्थानीय सहायक प्रकिया को विकसित करने वाली अपेक्षित कार्यवाहियों में काम कर रहे हैं, मिलकर संवेदनशील कार्यकर्मों को तैयार करना चाहिए ताकि आवारा, मानिसक बीमार व्यक्तियों को पहचाना जा सकें और प्रत्येक मामले में उनके मानवीय अधिकारों हेतु उचित न्यायिक आदेशों को यथावश्यक प्राप्त किया जा सके।

न्यायालयीन कार्यवाहियों के दौरान मानसिक बीमार और मानसिक अशक्तताग्रस्त व्यक्तियों को विधिक सहायता

मानसिक बीमार तथा मानसिक अशक्तताग्रस्त व्यक्तियों के अधिकारों को शासित करने हेतु दो अधिनियम हैं, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 और राष्ट्रीय कल्याण ट्रस्ट (स्वलीनता, दिमागी पक्षाघात, मानसिक गित में कमी और बहु अशक्तताग्रस्त व्यक्तियों हेतु) अधिनियम 1999 दोनों अधिनियम दण्डाधिकारी अथवा स्थानीय स्तर समिति, जैसा भी मामला हो, द्वारा उचित आदेशों के पारित होने के पूर्व सुनवाई की अपरिहार्यता निरूपित करते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि विधिक सेवा संस्थान इनमें अपने अर्द्ध -विधिक स्वयंसेवकों अथवा पैनल अधिवक्ताओं के माध्यम से सहभागिता अवश्य करें।

- यह विधिक सेवा संस्थान का कर्त्व्य होगा कि वह न्यायालय में, जहाँ मानसिक स्वास्थ्य
 अधिनियम 1987 की धारा 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, या 28 के तहत ग्रहण
 आदेशों अथवा विचार करने हेतु कोई आवेदन डाला गया हो, में अपना प्रतिधारक / पैनल
 अधिवक्ता नियुक्त करे।
- ► विधिक सेवा संस्थान, सभी मामलों मे ऐसे मानिसक रोगियों के हितों की रक्षा के लिए संबंधित दण्डाधिकारी से आवेदन कर सकते है जिनके संबंध में ग्रहण अथवा उन्मोचन आदेश हेतु आवेदन दिया गया हो और जिस पर दण्डाधिकारी, विधिक सेवा संस्थान को नोटिस दिये जाने संबंधी आवेदनों पर कार्यवाही कर रहा हो।

- ▶ प्रतिधारक/पैनल अधिवक्ता, उन कथित मानिसक बीमार व्यक्तियों की दशा को सुनिश्चित करते हुए उसके रिश्तेदारों, मनोचिकित्सक अस्पतालों अथवा मनोचिकित्सक निर्मिगहोम या किसी अन्य सक्षम व्यक्ति के साथ संपर्क रखते हुए उनकी परिस्थितियों के विवरण को जुटाएंगे, जिनके लिए न्यायालय में ग्रहण / रिहाई आदेश के आवेदन को डाला गया है। ताकि उचित आदेश प्राप्त हो सके।
- स्थानीय अधिकारिता रखने वाले विधिक सेवा संस्थान मानिसक बीमार व्यक्तियों की एक सूची रखेंगे जिनके लिए न्यायालयों से ग्रहण आदेश पारित हुए हैं और संस्थान उन मानिसक बीमार व्यक्तियों का उन मनोचिकित्सक अस्पतालों अथवा मनोचिकित्सक निर्संग होम्स जहाँ के लिए उन व्यक्तियों के निरूद्ध आदेश है, में उनके उपचार के विकास का भी अनुवीक्षण करेंगे।
- ► विधिक सेवा संस्थान सम्बंधित दंडाधिकारी का ध्यान, ऐसे मानसिक रोगी की ओर आकर्षित करेंगे जिसे ग्रहण आदेश के अनुसार मनोचिकित्सक अस्पतालों अथवा मनोचिकित्सक नर्सिंग होम्स में भेजा गया है और जो उपचार पश्चात् भी वहीं निरूद्ध है।
- ▶ विधिक सेवा संस्थान, अपने अर्द्ध-विधिक स्वयंसेवकों / पैनल / प्रतिधारक अधिवक्ताओं के माध्यम से, उपचारित स्वैछिक रोगियों की, धारा 18 के तहत अथवा किसी अस्वैछिक रोगी की मदद धारा 19 के तहत रिहाई के मदद आवेदन संस्थित करने मे करेंगे।
- ▶ विधिक सेवा संस्थान, अधिनियम की धारा 19 (1) के तहत क्लिनिक अथवा आगुन्तक बोर्ड के भाग रूप के माध्यम से मानिसक बीमार व्यक्तियों के दाखिलों का पता लगाते रहेंगे ताकि पता लगाया जा सके कि प्रारंभिक 90 दिनों से अधिक की रोक केवल न्यायालय के आदेशों के कारण ही हुई हैं।
- सभी विधिक सेवा संस्थान, अधिनियम की धारा 20 के तहत, सभी मामलों पर यह भी नजर रखेंगें ताकि कोई भी उपचारित रोगी मनोचिकित्सक अस्पताल, भवन या सुविधा केन्द्रों में चूक से भी न रह जाए। संस्थान को रोगी के ठीक होते ही उसकी रिहाई के लिए आवेदन डाल देना चाहिए।
- ▶ विधिक सेवा संस्थान, अधिनियम की धारा 23 सह पठित धारा 25 के तहत, आवारा अथवा निसहाय मानिसक बीमार व्यक्तियों के मामलों पर नजर रखेंगे तािक अधिनियम की धारा 28 के तहत दण्डाधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को देखरेख में रखने की आवश्यकता का 10 दिन में पुनर्विलोकन सख्ती से किया जाए तथा ऐसा कोई भी व्यक्ति समय से ज्यादा निरूद्ध न किया जाए जिसे अधिनियम की धारा 24 (2) (a) के तहत मानिसक बीमारी का प्रमाण-पत्र जारी किया जाना है।

- ► विधिक सेवा संस्थाएँ अपने विधिक सेवा क्लिनिक और अर्द्ध-विधिक स्वयंसेवी तथा पैनल / प्रतिधारक अधिवक्ता के माध्यम से रोगियों के डिस्चार्ज का ट्रैक रखेंगी और जब भी आवश्यक हो रोगी की तरफ से प्रभारी चिकित्सीय अधिकारी अथवा गृहण आदेश पारित करने वाले न्यायलय के समक्ष आवेदन पत्र देने में सहयोग और सहायता करेंगे।
- अधिनियम की धारा 45 और 46 के अंतर्गत किये गये प्रावधान के अनुसार अनुपस्थिति की अनुमित प्राप्त करने में विधिक सेवा क्लिनिक और अर्द्ध-विधिक स्वयंसेवी तथा पैनल/प्रतिधारण अधिवक्तागण भर्ती रोगियों को सहायता प्रदान करेंगे। अधिनियम की धारा 49 के अंतर्गत किये गये प्रावधान के अनुसार अपील फाइल करने में भी उन्हें सहयोग करना चाहिए।
- ► विधिक सेवा संस्थाएँ मनोबाधित व्यक्तियों के हितों की सुरक्षा हेतु अधिनियम की धारा 50 के अंतर्गत न्यायिक जांच कार्यवाही में भी शामिल होंगी। जिला न्यायाधीश से आवश्यक रूप से अनुरोध करेगी कि जब भी इनके समक्ष धारा 50 के अंतर्गत कोई आवेदन आये तो यह विधिक सेवा संस्थान को नोटिस जारी करें।
- ▶ जब किसी कथित मनोबाधित व्यक्ति के पास संपत्ति हो और मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम की धारा 50 की उप-धारा (1) के खंड (ए) से (डी) तक में उल्लिखित कोई भी व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के अध्याय VI के अंतर्गत न्यायिक जांच कराने हेतु आवेदन के साथ आगे नहीं आ रहा हो तो विधिक सेवा संस्थाएँ कथित मनोबिधत व्यक्तियों की मानसिक स्थिति, उनकी व्यक्तिगत अभिरक्षा और उनकी संपत्ति के प्रबंध के विषय में न्यायिक जाँच कराने हेतु उचित कदम उठाएंगी। इस प्रयोजन हेतु विधिक सेवा संस्थाएँ मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 की धारा 50 की उप-धारा (1) के खंड (क) से (घ) में निर्देशित उन लोगो में से किसी एक से लिखित रूप में संबंध स्थापित करेंगी और इस मामले को अधिनियम की धारा 50 की उप-धारा (1) के खंड (घ) की दृष्टि में संबंधित जिले के कलक्टर अथवा राज्य के महाधिवक्ता के पास ले जायेंगी। विधिक सेवा संस्थाएँ उपरोक्त प्रकार के मामलों मे संलिप्त ऐसे मनोबाधित व्यक्तियों को यथोचित प्रभावी सहयोग के माध्यम से विधिक सहायता प्रदान करेंगी। जिनके संबंध मे संबंधित कलक्टर द्वारा ऐसी कार्यवाहियों की तैयारी एवं उसे अग्रसारित करने में सहयोग देने हेतु अनुरोध किया गया हो।
- जब धारा 53 के अंतर्गत व्यक्ति का कोई संरक्षक नियुक्त किया गया हो एवं/अथवा धारा 54 के अंतर्गत संपत्ति का प्रबंधक नियुक्त किया गया हो अथवा अधिनियम की धारा 71 एवं धारा 79 के अंतर्गत भरण-पोषण का आदेश पारित किया गया हो तो विधिक सेवा संस्थाएँ प्रत्येक मुकदमें को पैरवी करेगी एवं मनोबाधित व्यक्ति के हितों की सुरक्षा हेतु प्रत्येक कार्य करेंगी।

- अधिनियम की धारा 76 के अंतर्गत जैसािक प्रावधान है विधिक सेवा संस्थाएँ अपील करने में समस्त संभव सहयोग प्रदान करेंगी।
- ► विधिक सेवा संस्थाएँ, विधिक सेवा क्लीनिकों एवं अर्द्ध-विधिक स्वयंसेवकों के द्वारा, एवं विजिटर्स परिषद् के सदस्य को सम्मिलित करते हुए भ्रमण द्वारा यह सुनिश्चित करेंगी कि निवासियों के मानव अधिकारों का उल्लंघन न हो व जब भी ऐसे उल्लंघन सामने आएँ तो ये उच्च न्यायालय के समक्ष लाए जायें।
- जैसािक स्वलीनता, सुमिस्तिष्क पक्षाघात, मनोबाध्यता एवं बहुल अशक्तता से ग्रस्त लोगों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्याय अधिनियम, 1999 एक व्यापक अधिनियम है जो मानिसक रूप से अशक्त लोगों को देख-रेख प्रदान करता है। इसमें मानिसक रूप से अशक्त लोगों के माता-पिता की देख-रेख में सहयोग को सम्मिलत करते हुए और संरक्षक की नियुक्ति द्वारा माता-पिता के देहांत के पश्चात मनोबाधित व्यक्तियों की देख-रेख एवं आर्थिक स्थिति का प्रबंध करना शामिल है। यह महत्वपूर्ण है कि विधिक सेवा संस्थाएं अधिनियम के विषय में लोगों को सूचित करे एवं इस का लाभ उठाने में उनका सहयोग करें। संरक्षक की नियुक्ति के मामले में अर्द्ध-विधिक स्वयंसेवी एवं विधिक सेवा क्लिनिक मनोबाधित व्यक्तियों एवं उनके परिवार की सहायता करेंगी।
- ▶ विधिक सेवा संस्थाएँ मानिसक रोगियों एवं मानिसक रूप से अशक्त व्यक्तियों को उनके विरासत के अधिकार, संपित रखने एवं आर्थिक अधिकारों का आनंद लेने को सुरिक्षित करने में सहयोग करेंगी। मानिसक रोग एवं मानिसक अशक्त्ता से ग्रस्त लोग भी अन्य लोगो के जैसे चल एवं अचल सम्पित्त की विरासत का अधिकार रखते हैं एवं अपने आर्थिक मामलो पर नियंत्रण रखने एवं बैंक ऋण, बंधक एवं अन्य आर्थिक लाभों को लेने का अधिकार रखते हैं जो उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से लिया जा सकता है अथवा किसी वैसे सहयोगी व्यक्ति द्वारा जो मानिसक रोग अथवा मानिसक अशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति के साथ कोई हित-भेद नहीं रखता हो। इसे साकार करने में विधिक सेवा संस्थाएँ समस्त विधिक सहायता प्रदान करेंगी।
- विधिक सेवा संस्थाएँ अशक्तता वाले (सामान्य अवसर, अधिकार का संरक्षण एवं पूर्ण शिरकत) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत समस्त लाभों को उठाने में मानसिक रूप से अशक्त व्यक्तियों की सहायता करेंगी।
- विधिक सेवा संस्थाएँ मानिसक रूप से अशक्त व्यक्तियों एवं उनके पिरवारों हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का पता लगाएंगी और इन योजनाओ के अंतर्गत लाभों को उठाने में विधिक सेवा संस्थाएँ मानिसक रूप से आशक्त व्यक्तियों एवं उनके पिरवारों की सहायता करेंगी।

जागरूकता एवं संवेदनशीलकर्ता कार्यक्रम

- ► विधिक सेवा संस्थाएँ जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेंगी विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ताकि लोगो को शिक्षित किया जा सके कि मानिसक रोग उपचार योग्य है और मानिसक रोग अथवा मानिसक अशक्तता से कोई कलंक जुड़ा हुआ नहीं है।
- ► विधिक सेवा संस्थाएँ समाज में मानिसक रोगियों के साथ भी अन्य लोगों के जैसे सामान्य व्यवहार की आवश्यकता बतायेंगीं। ऐसे विशेष विधिक जागरूकता शिविरों में मनोचिकित्सकों, अधिवक्तागण एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं की उपस्थिति, शिविर में आए लोगों की मानिसक रोग एवं मानिसक अशक्तता के विषय में भ्रम व भ्रांतियों को दूर करने में सहायक होंगी।
- ► विधिक सेवा संस्थायें ऐसे शिविरों में जनता–जनार्दन को एवं उनके परिवार वालों को मानिसक रोगियों एवं मानिसक रूप से अशक्त व्यक्तियों से सम्बंधित संपत्ति एवं उनके अन्य विधिक अधिकार तथा विधि के अन्य प्रावधानों के विषय में शिक्षित करेंगे।
- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ज्यूडिसियल अकादमी के सहयोग से प्रशिक्षण कार्यक्रम संयोजित कर सकते हैं तािक न्याियक अधिकारियों को मानिसक रोिगयों एवं मानिसक रूप से अशक्त व्यक्तियों एवं उनके माता-पिता, रिश्तेदारों एवं परिवार सदस्यों द्वारा झेले गये सामाजिक एवं विधिक समस्याओं के सम्बन्ध में संवेदनशील बनाया जा सके।
- ऐसे ही कार्यक्रम विधिज्ञ परिषदों के सहयोग से भी संयोजित किये जा सकते हैं तािक पैनल अधिवक्तागण एवं विधिक व्यवसाय के अन्य सदस्य को संवेदनशील बनाया जा सके।
- विधिक सेवा संस्थाएं स्वयंसेवी संस्थाओं एवं अन्य स्वयंसेवी सामाजिक संस्थाओं से मानिसक रोगियों एवं मानिसक रूप से अशक्त व्यक्तियों से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेत संपर्क स्थापित करेंगी।